



2026:AHC:25393

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 614 / 2026

शिवनाथ सिंह

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : हरि शंकर, सुनील कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., हर्षिता रानी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह तथा प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षिता रानी को सुना गया।
2. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह अप्रैल 1979 में वायु सेना से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें पेंशन प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, 19.11.2025 को बिना किसी नोटिस के उनकी पेंशन काट ली गई। याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से यह निर्देश देने की मांग की है कि अगस्त 2025 से काटी जा रही पेंशन राशि की कटौती रोकी जाए।
3. इस न्यायालय ने दिनांक 21.01.2026 को रिट याचिका पर विचार किया और विभाग से निर्देश मांगे थे।
4. आज, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एसपीएआरएसएच एएच) के हस्ताक्षरों के तहत निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके अनुसार पैराग्राफ 6 और 9 के जवाब में निम्नलिखित दावा किया गया है:—

"उपरोक्त मामले के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि पेंशनभोगी की सही जन्म तिथि 08 जून 1946 है, लेकिन पिछले पीडीए द्वारा इसे गलती से 01 अप्रैल 1936 दर्ज कर दिया गया था। तदनुसार, पेंशनभोगी को गलत जन्म तिथि 01 अप्रैल 1936 के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। एसपीएआरएसएच पोर्टल पर माइग्रेशन के बाद भी यही जारी रहा।

इसलिए, एसपीएआरएसएच में डेटा को संशोधित पीपीओ संख्या-3 दिनांक 12 अगस्त 2025 के माध्यम से सही/अद्यतन किया गया है, जिसके अनुसार अतिरिक्त पेंशन रोक दी गई है और अधिक भुगतान के कारण वसूली पेंशनभोगी के खाते से की जा रही है।

अब पेंशनभोगी पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सही पेंशन प्राप्त कर रहा है। हालांकि, इस संबंध में पिछले पीडीए से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह प्रतिवादी से संपर्क कर सकता है।

6. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता दिनांक 20.02.2026 तक प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे।

7. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और उन्हें 'परिशिष्ट-ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

5 फरवरी, 2026

(एन.एस. राठौर)

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"